

झारखंड के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्य न्यायाधीश वदियुत रंजन सारंगी के जाने के बाद न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

मुख्य बंदि

- वधिंमंत्रालय के अनुसार न्यायमूर्त प्रसाद 20 जुलाई, 2024 को कार्यभार संभालेंगे
- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति:
 - भारतीय संवधिान का [अनुच्छेद 223](#) कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधति है।
 - इसके अनुसार, जब कसिी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रकित हो या जब ऐसा मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थति अथवा अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो ऐसे व्यक्त द्वारा पद के कर्तव्यों का पालन कया जाएगा। इस प्रयोजन के लयि राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

- संवधिान का [अनुच्छेद 217](#): इसमें कहा गया है ककसिी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा [भारत के मुख्य न्यायाधीश \(Chief Justice of India- CJI\)](#), [राज्य के राज्यपाल](#) के परामर्श से की जाएगी।
 - मुख्य न्यायाधीश के अलावा कसिी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कया जाता है।
- परामर्श प्रक्रया: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सफारिश मुख्य न्यायाधीश और दो वरषिठतम न्यायाधीशों वाले [कॉलेजियम](#) द्वारा की जाती है।
 - हालाँक यह प्रस्ताव संबंधति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने दो वरषिठतम सहयोगयिों के परामर्श से प्रस्तुत कया जाता है।
 - सफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो राज्यपाल को केंद्रीय कानून मंत्री को प्रस्ताव भेजने की सलाह देते हैं।
 - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधति राज्यों के बाहर से मुख्य न्यायाधीश रखने की नीति के अनुसार की जाती है।
 - पदोन्नति पर नरिणय कॉलेजियम द्वारा लया जाता है।